कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के द्वारा क्रमशः पत्रांक 1775/गो0, दिनांक 29.03.2019, 1776/गो0, दिनांक 29.03.2019 एवं पत्रांक 2030/गो0, दिनांक 14.04.2019 द्वारा निम्नलिखित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जो निम्न प्रकार है –

1. परमानन्द चौधरी, पे0–महेन्द्र चौधरी, साकिन–नयागया शिरोमणिटोला, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–01/78 पर धारित एन0पी0बोर0 राईफल संख्या–77/1748 चोरी हो जाने के कारण परबत्ता थाना काण्ड संख्या 195/16, दिनांक 20.08.2018 दर्ज कराया गया है।
2. गुरूदेव सिंह, पे0–गुणानन्द सिंह, साकिन–सलारपुर, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–04/1995 पर धारित एन0पी0बोर राईफल संख्या– AB–96–0583 जिसे कारतुस सहित छीन लिए जाने कारण बिहपुर थाना काण्ड संख्या–65/19, दिनांक 22.02.2019 धारा 392 भा0द0वि0 दर्ज कराया गया है।
3. संजय कुमार सदा पे0–भागवत सदा, साकिन–भगवानपुर, छिलकौड़ी, थाना–अलौली के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या– 02/2013 (अलौली थाना) पर शस्त्र वर्तमान समय तक क्रय नहीं किये जाने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त पत्र के आलोक में एवं आयुध अधिनियम 2016 के सुसंगत धाराओं के अधीन इस कार्यालय संचिका संख्या–IV-09/2019 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–13 पर जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उपर वर्णित तीनों शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

शस्त्र अनुज्ञप्तिधकारी को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापाक IV-09/2018/340**/जी0, दिनांक** 16/05/2019

प्रतिलिपि :– संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, परबत्ता एवं अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/19
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया